कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2592 /11–सी–FP/UP/Disp/49674/2020, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 08 ,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कं0नं0 14अ में अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी टंकी, आर0ओ0 एवं शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 65 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–4201/मी0क्षे0/33, दिनांक 25.03.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु संलग्न सूची में व्यास वर्ग गलत अंकित किया गया है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार सही व्यास वर्ग अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व कर डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र न तो मूल में है और न ही मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। अतः मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मूल में संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व कर डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में DSS Analysis प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रकरण में 5 हे0 से कम अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से हटाते हुए ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।
4. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष 01 हे0 का ही मॉडल प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जोकि अपूर्ण है। अतः पूर्ण प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में अपलोड करें।
5. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में अपलोड किया गया SoI Toposheet अपूर्ण है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं है। अतः इस डिलिट कर फुल साइज का SoI Toposheet जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित हो ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में अपलोड करें।
6. ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में रोजगार का विवरण भिन्न–भिन्न अंकित है। अतः एक समान सही विवरण अंकित करें।

अतः प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ अपने किसी कार्यालय प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कर उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में इस कार्यालय को शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2592 /11–सी–FP/UP/Disp/49674/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रेनुकूट–सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।